न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 04/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी
बालोतरा

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. प्रभूराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2. देवीलाल पुत्र हराराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.01.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.03.2021 को ग्राम अरणियाली महेचान सिणधरी पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी की शिकायत के संबंध में जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर श्री अश्विनी गुर्जर हमराह प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर श्री हरलाल मीणा ग्राम अरणियाली महेचान में मैसर्स जगदम्बा किराना स्टोर के पास ईंटों से बने कमरे में पहुंचे। मौके पर ईंटों से बने हुए उक्त कमरे में नोजल लगी हुई प्लास्टिक टंकी जिसकी भराव क्षमता 1500 लीटर थी, की जांच करने पर 50 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल भण्डारित होना पाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां पर डीजल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रति लीटर 72 रूपये की दर से विक्रय किया जाता है। मौके पर श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री बगदाराम जाति प्रजापत निवासी अरणियाली तहसील सिणधरी ने 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल 720 रूपये खरीद कर लेना पाया गया जिसकी मौके पर विडियोग्राफी की गई। मौके पर प्रभूराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भण्डारण एवं विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर मुलजिम प्रभूराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का अपने कब्जे में भण्डारण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 में (डी)(एफ)(1)(v)(vi)(vii) एवं (ix) का उल्लंघन करना पाये जाने से जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की जांच उपरान्त प्लास्टिक की टंकी में भरे हुए डीजल की शेष मात्रा कुल 47 लीटर मय प्लास्टिक की टंकी एवं नोजल मशीन को सुरक्षा की दृष्टि से श्री दिनेश पुत्र श्री नीम्बाराम जाति प्रजापत उम्र 28 वर्ष हाल मैनेजर एस्सार पेट्रोल पम्प अरणियाली महेचान को सुपुर्दगी नामे पर सुपुर्द किया गया। गैर सायल प्रभूराम एवं देवीलाल जाट के विरूद्ध मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 में (f)(i)(vi) एवं (ix) तथा खण्ड 3(5) का स्पष्ट उल्लंघन होने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण प्रभूराम एवं देवीलाल के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 47 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायलान द्वारा उक्त जब्तशुदा

कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

डीजल स्वयं के खातेदारी खेत पर बने बेरे पर लगे जनरेटर में उपयोग हेतु लिया है। विप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का डीजल बेचान का कार्य नहीं करता है तथा न ही उसके द्वारा कोई बेचान दर वगैरह अंकित की गई है। केवल मात्र अपने बेरों पर लगे जनरेटरों में डीजल भरने हेतु 50 लीटर डीजल का भण्डारण करना किसी भी प्रकार का अपराध कारित करना नहीं है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में जब्तशुदा डीजल मय नोजल मशीन लगी हुई प्लास्टिक की टंकी लौटाए जाने के अधिकारी हैं।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि मौके पर ईंटों से बने हुए उक्त कमरे में नोजल लगी हुई प्लास्टिक टंकी जिसकी भराव क्षमता 1500 लीटर थी, की जांच करने पर 50 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल भण्डारित होना पाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि यहां पर डीजल प्रति लीटर 72 रूपये की दर से विक्रय किया जाता है। मौके पर श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री बगदाराम जाति प्रजापत निवासी अरणियाली तहसील सिणधरी ने 10 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ डीजल 720 रूपये खरीद कर लेना पाया गया जिसकी मौके पर विडियोग्राफी की गई। मौके पर प्रभूराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल के भण्डारण एवं विक्रय के संबंध में कोई वैध दस्तावेज वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। इस पर मुलजिम प्रभूराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त पेट्रोलियम पदार्थ डीजल का अपने कब्जे में भण्डारण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2 में (डी)(एफ)(1)(v)(vi)(vii) एवं (ix) तथा खण्ड 2 में (f)(i)(vi) एवं (ix) तथा खण्ड 3(5) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मात्र विप्रार्थीगण के विरोधियों के बहकावे में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आकर उनके बयान लेकर यह परिवाद प्रस्तुत किया है। गैर सायलान द्वारा उक्त जब्तशुदा डीजल स्वयं के खातेदारी खेत पर बने बेरे पर लगे जनरेटर में उपयोग हेतु लिया है। विप्रार्थीगण किसी भी प्रकार का डीजल बेचान का कार्य नहीं करता है तथा न ही उसके द्वारा कोई बेचान दर वगैरह अंकित की गई है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के कब्जे से बरामद किये गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 47 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ बायोडीजल मय नोजल मशीन लगी हुई प्लास्टिक की टंकी को कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है। प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्तशुदा 47 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जो सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई रूप से श्री दिनेश पुत्र श्री नीम्बाराम जाति प्रजापत उम्र 28 वर्ष हाल मैनेजर एस्सार पेट्रोल पम्प अरणियाली महेचान को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, प्राप्त कर अप्रार्थीगण को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर